न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ०ग०)

जमानत याचिका क्रमांक –1191/2026.

Filing Number-BA/2167/2026.

थाना पुरानी भिलाई, अपराध क्रमांक-416/2026.

राजेश कुमार साहू पिता शिव कुमार साहू, उम्र 20 साल,
निवासी बाजार चौक, डबरा पारा भिलाई,-03, जिला दुर्ग (छ०ग०)
... ..आवेदक/अभियुक्त।

//विरुद्ध //

छ०ग० राज्य द्वारा -
आरक्षी केंद्र पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग (छ०ग),
..... अनावेदक/अभियोजन।

//आदेश की प्रतिलिपि//

13.08.2026- आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री दिनेश सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/अभियोजन द्वारा श्री द्रोण ताम्रकार लोक अभियोजक ।

न्यायालय-श्री अभिनव डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी भिलाई-3, दुर्ग के न्यायालय से थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमाक-416/2026, अंतर्गत धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट की रिमांड पत्रावली एवं संबंधित थाने से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त ।

आवेदक/अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुति दिनांक-11.08.2026 पर उभयपक्ष को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त आवेदन पत्र में यह घोषणा की गई है कि यह उसका यह प्रथम जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य और कोई आवेदन अन्य किन्हीं न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न लंबित है, न ही निरस्त हुआ है। जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के मामा श्री संजय

साहू ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट के अवलोकन से इस न्यायालय का समाधान होता है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है ।

आवेदक/अभियुक्त के विव्दान् अधिवक्ता का उक्त नियमित जमानत आवेदन पर तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त को थाना भिलाई-03 पुलिस द्वारा दिनांक 20.08.2026 को गिरफ्तार कर, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है । आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है । आवेदक/अभियुक्त कम उम्र का नवयुवक है और अत्यधिक दिनों तक निरुद्ध रहने से उसके मनोमस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने तत्पर है । आवेदक/अभियुक्त दुर्ग जिले का स्थायी निवासी है और जमानत पर रिहा होने पर,विवेचना में सहयोग करेगा । अतः आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाये । आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध अन्य दो प्रकरणों के राजीनामा के आधार पर हुए निराकरण के आदेश पत्रिका की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की गई है ।

लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धारदार चाकू लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराया धमकाया गया है और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की गई है । यदि पुलिस स्थल पर नहीं आती तो बड़ी घटना कारित कर सकता था । आवेदक/अभियुक्त आदतन अपराधी है

और उस पर और भी अपराध पंजीबद्ध है । नियमित जमानत पर रिहा किये जाने से, उसके फरार होने ,गवाहों को प्रभावित करने एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः आवेदक/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

रिमांड पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से, अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.08.2026 को थाना पुरानी भिलाई की पुलिस टीम को विवेचना एवं पतासाजी के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति खण्डहर के पास बिजली कालोनी भिलाई-03 में एक धारदार लोहे का चाकू हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है । उक्त सूचना पर गवाहों को धारा 179 बी०एन०एन०एस का नोटिस प्रदान कर, मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया और कार्यवाही के लिए साथ चलने की सहमति पर साथ घटना स्थल ले जाने पर, एक व्यक्ति चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा किंतु घेराबंदी पर पकड़ा गया और पूछने पर उस व्यक्ति ने स्वयं का नाम राजेश कुमार साहू बताया । उक्त राजेश कुमार को धारा 94 बी०एन०एन०एस० का नोटिस दिये जाने पर, उक्त धारदार चाकू के संबंध में उस व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होने से, गवाहों के समक्ष राजेश कुमार से एक लोहे का धारदार छूरीनुमा लोहे का मुठ लगा चाकू, जिसकी कुल लंबाई 13 इंच, फल की लंबाई 8x1/2 इंच, मुठ की लंबाई 4x1/2 इंच, मध्य की चौड़ाई 1.3 इंच कीमती 150/- रुपये को जप्त किया गया और राजेश कुमार साहू का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा-25, 27 के अपराध के अंतर्गत होने से, उसे उक्त अपराध में

गिरफ्तार कर, आवेदक/अभियुक्त राजेश कुमार, गवाहान सहित थाना वापस आकर, आवेदक/अभियुक्त राजेश कुमार साहू के विरुद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक-416/2026, अंतर्गत धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।मामले का अनुसंधान शेष है ।

केस डायरी के साथ संलग्न पुलिस विरोध प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध थाना पुरानी भिलाई में निम्नानुसार अन्य अपराध पंजीबद्ध हैः-

क्रं०	थाना	अपराध क्रमांक	अंतर्गत धारा
01.	पुरानी भिलाई	159/2023	379 भा०दं०संहिता
02.	पुरानी भिलाई	14/2025	296,115(2),351(3),3(5)बी०एन०एस०
03.	पुरानी भिलाई	103/2025	296,351(2),3(5) बी०एन०एस०
04.	पुरानी भिलाई	17/2025	296,115(2),351(2),3(5) बी०एन०एस०
05.	पुरानी भिलाई	127/2026	296,115(2),351(3),3(5)बी०एन०एस०

मामले में आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 06.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी दिनांक से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है । मामले का अनुसंधान शेष है । प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य अपराध पंजीबद्ध रहना प्रतीत होता है इसलिए अभियोजन की उक्त आशंका निर्मूल होना प्रतीत नहीं होती कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह गवाहों को प्रभावित करेगा, फरार होगा और घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक/ अभियुक्त से जप्तशुदा चाकू एवं प्रकरण की परिस्थितियों में, आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अभियोजन की आशंका एवं प्रकरण की परिस्थितियों में **आवेदक/अभियुक्त राजेश कुमार साहू** की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-483

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई-3 को रिमांड पत्रावली सूचनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ थाना प्रभारी पुरानी भिलाई को केस डायरी सूचनार्थ प्रेषित हो ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार समयावधि में भेजा जाये ।

k vinod kujur Digitally signed by k vinod kujur

(के०विनोद कुजूर)

सत्र न्यायाधीश दुर्ग

– प्रमाण–पत्र–

मैं पुष्टि करता हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश में टंकित की गयी है।

स्टेनोग्राफर का नाम–योगेश भंडुरिया